सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—11/2025 दर्ज तिथिः—17.02.2025

1. पूनमाराम पुत्र कानाराम
2. गंगाराम पुत्र हुकमाराम
3. पेमाराम पुत्र कानाराम
4. भीखी पत्नी हुकमाराम
5. मंगली पत्नी सुरताराम
6. मोहनलाल पुत्र सुरताराम
7. श्रवण कुमार पुत्र सुरताराम
8. सांवताराम पुत्र कानाराम
9. हमीराराम पुत्र कानाराम

जाति विश्नोई निवासी कन्हैयानगर,कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगलाराम पुत्र सुखराम
   जाति विश्नोई निवासी कन्हैयानगर,कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.........................असल विप्रार्थीगण

2. शाखा प्रबन्धक,बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना तहसील धोरीमना
3. शाखा प्रबन्धक,एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई ,शाखा भूणिया तहसील सेड़वा
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर
5. उपपंजियक धोरीमना

.........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री देवाराम चौधरी
[illegible]:— रामनिवास विश्नोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद [illegible] धारा—49,89 ख,188,209
[illegible] काश्तकारी अधि[illegible]—1955

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

पूनमाराम बनाम मंगलाराम
2025/21
निर्णय दिनांकः–27.06.2025

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–27.06.2025

वाद–पत्र

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49,89 ख ,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा –49,89 ख ,188,209 के अन्तर्गत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 367/546/6.4750 है0 किस्म बा.दोयम मौजा कन्हैयानगर, पटवार हल्का कोजा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेंर में अवस्थित है। प्रतिवादीगण का खेत खसरा संख्या 367/8.7979 है0 किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम कन्हैयानगर हल्का कोजा, तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में आया हुआ है–

- कि वादग्रस्त आराजी मूल खसरा संख्या 367 रकबा 94–07 बीघा किस्म बा.सो. की भूमि बिला कब्जा धोरा की भूमि थी जिसे से रकबा 40 बीघा वादीगण के पूर्वज कानाराम पुत्र समेलाराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार के नाम से दिनांक 26.05.1998 को आवंटन हुआ। जिसका ग्रम कोजा में नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 15.08.1971 को स्वीकृत हुआ जिसमें वादीगण के पूर्वज कानाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ जिसका खसरा संख्या 367/546 रकबा 40–00 बीघा किस्म बा.सो लगान 1.94 रूपये दर्ज हुई। जिस पर वादीगण के पूर्वज कानाराम व उसके बाद वादीगण का कब्जा काश्त है। जो मौके पर कब्जा काश्त ढाणी आदि बीनी हुई है।
- कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की मूल खसरा संख्या 367 रकबा 94–07 बीघा किस्म बारानी सोयम की बिला कब्जा धोरा की भूमि थी जिसमें से रकबा 54–07 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज सुखराम पुत्र खिंयाराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार के नाम से दिनांक 26.05.1998 को आवंटन हुई थी। जिसका ग्राम कोजा के नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 15.08.1971 को स्वीकृत हुआ था। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज सुखराम पुत्र खींयाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ जिसका खसरा संख्या 367 रकबा 54–07 बीघा किस्म बारानी सोयम लगान 2.64 रूपये दर्ज हुई जिस वक्त मौके पर वादग्रसत आराजी के पूर्व दिशा में लगता हुआ था उसी जगह प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज सुखराम व उसके बाद प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है।
- कि वादग्रस्त आराजी के आवंटन के नामान्तकरण करते समय व उसके बाद राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करते समय आनन–फानन , बिना सीमाज्ञान ,बिना मौका देखे नक्शा लठ्ठा व ऑनलाईन रेकर्ड के समय मौके के कब्जे काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया तथा मौके पर भिन्न नक्शा ऑनलाईन तरमीम कर दी थी।
- कि जहां पर वादीगण का कब्जा काश्त,ढाणियां,बेरे आदि है वहां पर वर्तमान रेकर्ड नक्शा अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज भूमि वादीगण [illegible] दर्ज है।
- अतः उक्त खसरों में [illegible] काश्त [illegible] चकबंदी किया जाए व अदला बदली तथा सीमाऐं परिवर्तन संलग्न परिशिष्ट "अ" में बरग लाल रंग वादीगण व हरा रंग प्रतिवादी संख्या 01 अनुसार किया जावे। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर रहवासी मकान व कब्जा काश्त अनुसार चकबन्दी, सीमाऐं परिवर्तन/तरमीम शुद्वि व क्षेत्रफल परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 असालतन वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित हुए। वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908 वास्ते वाद की विषय वस्तु का परिरक्षण, निरीक्षण के लिए मंगवाने मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने का पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली में तहसीलदार धोरीमना से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक भू. अ./2025/661 दिनांक 21.03.2025 के तहत मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिशल किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 ने एक लिखित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908 वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रस्तुत किया। मौका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा न्यायहित में प्रतिवादीगण संख्या 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमना से उभयपक्षकारान को पूर्व सूचित करते हुए दोनों पक्षों की उपस्थित में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना मे तहसीलदा धोरीमना के पत्रांक भू.अ./2025/1563 दिनांक 26.06.2025 के तहत न्यायालय हाजा को प्रस्तुत किया गया। वादी वकील द्वारा प्रस्तावित मौका परिशिष्ट 'अ' अनुसार चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार चकबन्दी,सीमा परिवर्तन दुरस्ती का निवेदन किया गया।

जिरह

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

वदीगण	प्रतिवादीगण
राजस्व वाद अंतर्गत धारा–49,89 ख,188,209 पर बहस	
1. वादीगण के अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार खसरा संख्या 367/546/6.4750 है0 किस्म बा. दोयम मौजा कन्हैयानगर, पटवार हल्का कोजा, तहसील धोरीमन्ना की चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा चकबन्दी व सीमा परिवर्तन किये जाने से रकबा यथावत रहेगा। इसलिए परिशिष्ट 'अ' अनुसार चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा दुरस्त व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमाने का निवेदन पेश किया।	1. प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार दुरस्त करने में सहमति जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'ब' के अनुसार चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्ती करने पर कोई आपति नहीं होने का कथन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है जो मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमना की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2025 के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार चकबन्दी / अदला-बदली व सीमाऐं परिवर्तन दुरस्ती हेतु दोनो पक्ष सहमत है तथा उसी अनुसार चकबन्दी / अदला-बदली व सीमा परिवर्तन पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

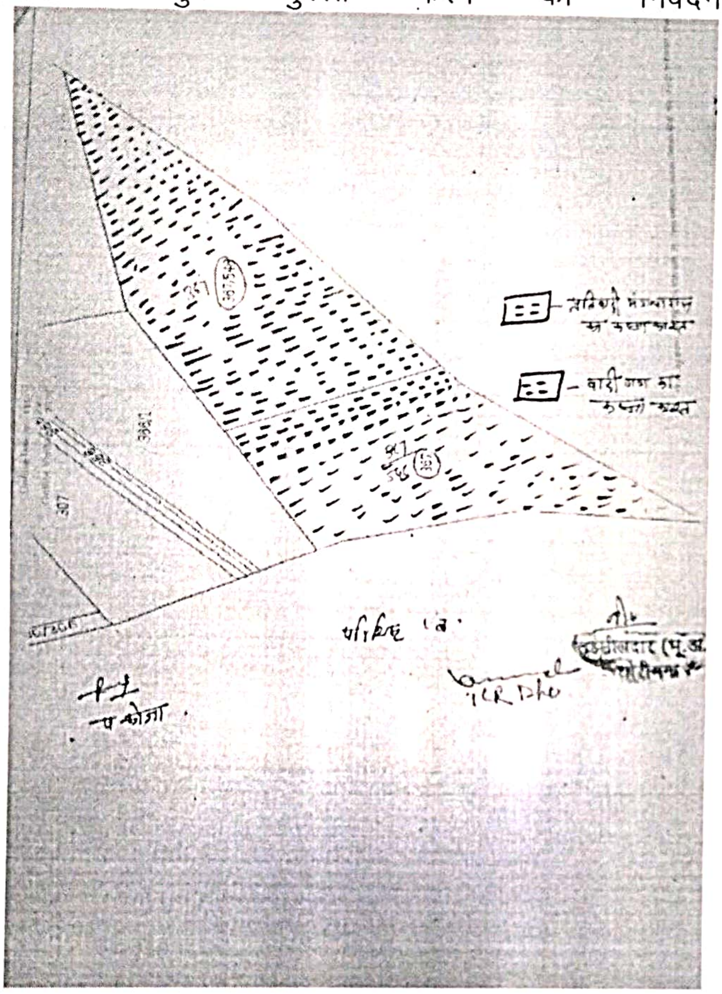

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** यह निर्विवाद तथ्य है कि वादीगण के उक्त खसरा संख्या 367 / 546 / 6.4750 है0 किस्म बा.दोयम मौजा कन्हैयानगर, पटवार हल्का कोजा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर तथा प्रतिवादीगण के खसरा संख्या 367 / 8.7979 है0 किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम कन्हैयानगर हल्का कोजा, तहसील धोरीमना के रहवासी पक्का मकान व मौके पर कब्जा काश्त राजस्व रेकर्ड अनुसार नहीं होने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता उत्पन्न हो गई। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद में सहमति जाहिर कर प्रस्तावित परिशिष्ट 'ब' अनुसार चकबन्दी / अदला-बदली व सीमा परिवर्तन किया जाकर वर्तमान मौका कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में समानता रहेगी। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट-'अ' तथा तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट 'ब' के अनुसार चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड मिसल दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

पूनमाराम बनाम मंगलाराम
2025 / 21
निर्णय दिनांकः—27.06.2025

आदेश है कि

*राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा **49,89 ख** के अन्तर्गत वादीगण का वाद पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वादीगण के खसरा संख्या* 367 / 546 / 6.4750 है0 *तथा प्रतिवादीगण के खेत खसरा संख्या* 367 / 8.7979 है0 *वाके ग्राम* कन्हैयानगर पटवार हल्का कोजा *तहसील धोरीमना में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' के अनुसार चकबन्दी/अदला—बदली व सीमा परिवर्तन कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।*

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

27/6/25

(भागीरथराम आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested